केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर,

दिल्ली-110032

सं.सी-27013/01/2014 -हिन्दी 1229 दिनांक: 27.07.2015

कार्यालय ज्ञापन

विषय: विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 75वीं बैठक का कार्यवृत्त।

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 75वीं बैठक सदस्य सचिव, केन्द्रीय बोर्ड की अध्यक्षता में दिनांक 20.07.2015 को "परिवेश भवन" के सम्मेलन कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची संलग्न है। अध्यक्ष, केन्द्रीय बोर्ड के अनुमोदन के पश्चात बैठक के कार्यवृत्त सभी सदस्यों को सूचनार्थ, टिप्पणी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजे जा रहे हैं।

(परमानन्द शर्मा)
हिन्दी अधिकारी

सेवा में,

....

समिति के सभी सदस्य

प्रतिलिपि: सूचनार्थ

1. उप-निदेशक (राजभाषा), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग, नई दिल्ली-110003
2. उप-निदेशक (कार्या.), केन्द्रीय कार्यान्वयन कार्यालय, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, ए-149, सरोजनी नगर, नई दिल्ली . 110023
3. महामंत्री, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद, एक्स.वाई. 68, सरोजनी नगर, नई दिल्ली - 23
4. अध्यक्ष के निजी सचिव
5. सदस्य सचिव के निजी सचिव
6. प्रभारी, आंचलिक कार्यालय-लखनऊ, भोपाल, वड़ोदरा, बैंगलुरू, कोलकाता, शिलांग और परियोजना कार्यालय-आगरा
7. प्रभारी अधिकारी, आई.टी.प्रभाग - कृपया इस कार्यवृत्त को केन्द्रीय बोर्ड की वेबसाइट में अपलोड करवायें।

(परमानन्द शर्मा)
हिन्दी अधिकारी

विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिनांक 20.07.2015 को आयोजित 75वीं बैठक का कार्यवृत्त

विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति, केन्द्रीय बोर्ड की 75वीं बैठक दिनांक 20.07.2015 को डा. ए.बी. अकोलकर, सदस्य सचिव, केन्द्रीय बोर्ड की अध्यक्षता में 'परिवेश भवन' के सम्मेलन कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची अनुबंध में दी गई है।

हिन्दी अधिकारी ने सभी उपस्थित सदस्यों एवं प्रतिनिधियों का स्वागत किया। हिन्दी अधिकारी ने सूचित किया कि अध्यक्ष महोदय कार्य की व्यस्तता के कारण इस बैठक में शामिल नहीं हो पाये। अत: बैठक समिति के उपाध्यक्ष अर्थात सदस्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है। उन्होंने यह भी सूचित किया कि संसद सत्र में व्यस्तता के कारण मंत्रालय के अधिकारी बैठक में उपस्थित नहीं हुए हैं। तदपश्चात सदस्य सचिव महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यसूची के विभिन्न मदों पर चर्चा प्रारम्भ की गई।

मद सं.1 : पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

हिन्दी अधिकारी ने सूचित किया कि पिछली बैठक के कार्यवृत्त सभी सदस्यों एवं संबंधितों को टिप्पणी एवं अनुवर्ती कार्रवाई हेतु भेज दिये गये थे। कार्यवृत्त पर किसी भी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई। अत: विगत बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि मान ली जाय। सदस्य सचिव महोदय ने सभी सदस्यों की सहमति से कार्यवृत्त की पुष्टि कर दी।

मद सं. 2 : पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई

समिति को यह सूचित किया गया कि पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार परिवेश भवन के सभी तलों पर स्थित विभिन्न अनुभाग/प्रभागों के कंप्यूटरों का निरीक्षण किया गया और जिन कंप्यूटरों में यूनिकोड व्यवस्था नहीं थी, उनमें यह व्यवस्था उपलब्ध करा दी गई है। कंप्यूटर फोर्मेट कराने के दौरान प्राय: अधिकारी यूनिकोड का ध्यान नहीं रखते और यह कंप्यूटर से हट जाता है। समिति के सभी सदस्यों/प्रभाग प्रभारियों से यह अनुरोध किया गया कि यदि किसी अधिकारी/कर्मचारी के कंप्यूटर से हिन्दी में कार्य करने की व्यवस्था अर्थात यूनिकोड हट गया हो तो हिन्दी अनुभाग को बतायें ताकि उसे तत्काल अपलोड किया जा सके।

मुख्यालय और आंचलिक कार्यालयों के लिए विभिन्न हिन्दी के पदों के सृजन के संबंध में समिति को सूचित किया गया कि अनेक अनुस्मारक भेजने पर भी यह मामला वर्षों से मंत्रालय में लंबित है। सदस्य सचिव ने प्रशासन अधिकारी (कार्मिक) से हिन्दी पदों के सृजन के मामले को मंत्रालय के साथ चर्चा के लिए तैयार लंबित मामलों की सूची में सम्मिलित करने को कहा।

समिति को सूचित किया गया कि हिन्दी अनुभाग में एक कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक ने कार्यग्रहण कर लिया है। अत: अब हिन्दी अनुवाद से संबंधित सामग्री का अनुवाद यथासमय पूरा करने में सहायता मिल सकेगी।

संसदीय राजभाषा समिति के दिनांक 24 जनवरी, 2015 को केन्द्रीय बोर्ड के मुख्यालय के राजभाषा संबंधी निरीक्षण पर समिति को बताया गया कि यद्यपि समिति कार्यालय से आश्वासनों का औपचारिक पत्र प्राप्त नहीं हुआ है तथापि निरीक्षण बैठक के दौरान समिति को दिए गए प्रमुख आश्वासनों पर हिन्दी अनुभाग द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है, इसमें सभी हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों को अध्यक्ष महोदय के हस्ताक्षर से व्यक्तिश: आदेश जारी करना, वार्षिक कार्यक्रम 2015-16 की प्रतियां अध्यक्ष महोदय के नोट के साथ मुख्यालय के सभी प्रभाग प्रभारियों और आंचलिक कार्यालयों को निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए भेजना, हिन्दी प्रशिक्षण के रोस्टर को अद्यतन करना और भर्ती/पदोन्नति परीक्षाओं में हिन्दी माध्यम का विकल्प उपलब्ध करवाना शामिल है। हिन्दी प्रशिक्षण के रोस्टर को तैयार करने में आ रही कठिनाइयों के संबंध में श्री ओमदास, वरिष्ठ अनुवादक ने बताया कि कई बार लिखित अनुरोध करने पर भी अनेक अधिकारी इस संबंध में निर्धारित प्रपत्र में अपेक्षित सूचनाएं भरकर नहीं भेज रहे हैं। इसलिए यह कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है। सदस्य सचिव महोदय ने कहा कि जिन अधिकारियों/कर्मचारियों ने सूचना नहीं दी है, उनके विवरण प्रशासन अनुभाग से स्वयं प्राप्त किया जाय और जिन्हें हिन्दी प्रशिक्षण की आवश्यकता है, उन्हें नियमानुसार प्रशिक्षण के लिए भेजा जाय।

मद सं.3 : 30 जून, 2015 को समाप्त अवधि की तिमाही प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा

हिन्दी अधिकारी ने समिति को बताया कि उपर्युक्त अवधि की हिन्दी प्रगति की तिमाही रिपोर्ट तैयार कर अध्यक्ष महोदय से विधिवत हस्ताक्षर करवाकर पर्यावरण मंत्रालय और राजभाषा विभाग को ऑनलाइन भेज दी गई है। तिमाही रिपोर्ट के अनुसार इस तिमाही में राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) के अंतर्गत 27 आदेश जारी किए गए, जो सभी द्विभाषी अथवा हिन्दी में जारी किए गए। "क" क्षेत्र में हिन्दी पत्राचार का प्रतिशत 68%, "ख" में 66% और "ग" क्षेत्र में 62% रहा। मुख्यालय के सभी कंप्यूटरों में यूनिकोड प्रणाली लागू कर दी गई है, जिसके माध्यम से काफी कार्य हिन्दी में करना संभव हुआ है। विभिन्न अनुभागों/प्रभागों को हिन्दी अनुभाग द्वारा आवेदन-पत्रों/पत्रों के प्रारूप उपलब्ध करवाये गए हैं और केन्द्रीय बोर्ड की वेबसाइट में भी अपलोड किए गए हैं। सदस्य सचिव महोदय ने निदेश दिए कि रिपोर्टों में दर्शाये गए आंकड़ों की विश्वसनीयता/प्रमाणिकता पर विशेष ध्यान दिया जाय और समय-समय पर इनकी जांच की जाय ताकि मंत्रालय को सही और सटीक आंकड़े प्रस्तुत किए जा सकें।

मद सं. 4 : वार्षिक कार्यक्रम 2015-16 पर चर्चा

समिति को जानकारी दी गई कि राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ने केन्द्र सरकार के सभी कार्यालयों में राजभाषा नीति के अनुपालन के लिए वर्ष 2015-16 का वार्षिक कार्यक्रम जारी कर दिया है। इस वार्षिक कार्यक्रम की प्रतियां राजभाषा विभाग के कार्यालय से प्राप्त करके बोर्ड के सभी आंचलिक कार्यालयों और मुख्यालय के सभी प्रभाग/प्रभारियों को अनुपालनार्थ भेज दी है। नियमानुसार इस कार्यक्रम पर विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में चर्चा की जाती है और विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक निदेश दिए जाते हैं। हिन्दी अधिकारी ने वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों से सभी उपस्थित सदस्यों को अवगत कराया। सदस्य सचिव महोदय ने कहा कि वार्षिक कार्यक्रम निर्धारित लक्ष्यों का गहन विश्लेषण किया जाय और हिन्दी अनुभाग विभिन्न अनुभागों/प्रभागों में जाकर उनकी कार्यप्रणाली/प्रकृति के अनुसार पत्रों/सामग्री के प्रारूप उपलब्ध करवायें तथा हिन्दी में कार्य करने में आने वाली समस्याओं का निराकरण करें ताकि लक्ष्यों को प्राप्त करने में आसानी हो।

मद सं. 5 : 'परिवेश मंथन' का प्रकाशन

हिन्दी अधिकारी ने सूचित किया कि समिति की पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार 'परिवेश मंथन' पत्रिका के लिए विभिन्न राज्य बोर्डों/समितियों, आंचलिक कार्यालयों और मुख्यालय के विभिन्न तकनीकी प्रभागों से शोध लेख आमंत्रित किए गए। किन्तु तीन माह बीत जाने पर भी मात्र 03 लेख (02 आंचलिक कार्यालय-भोपाल और 01 ट्रेस आर्गेनिक प्रयोगशाला, मुख्यालय) प्राप्त हुए हैं। सदस्य सचिव महोदय ने इस पर अपनी चिन्ता व्यक्त की और हिन्दी अधिकारी को निदेश दिए कि वह हिन्दी भाषी राज्यों बोर्डों, आंचलिक कार्यालयों और मुख्यालय के विभिन्न प्रभाग प्रभारियों से पुन: लेख भेजने का अनुरोध करें और अगली बैठक तक पत्रिका के लिए आवश्यक लेखों का संग्रह करें। उन्होंने कहा कि यदि आवश्यक हो तो आंचलिक कार्यालय-भोपाल द्वारा बोर्ड के वेबसाइट में अपलोड 'ई-पत्रिका' में शामिल लेखों का 'परिवेश मंथन' पत्रिका के लिए उपयोग किया जा सकता है।

मद सं.6 : केन्द्रीय बोर्ड के आंचलिक कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा

समिति को सूचित किया गया कि संसदीय राजभाषा समिति के राजभाषा संबंधी निरीक्षण के दौरान दिए गए आश्वासन के अनुपालन में केन्द्रीय बोर्ड ने वर्ष 2010 में न्यूनतम मानकों के आधार पर मुख्यालय और आंचलिक कार्यालयों के लिए 15 हिन्दी पदों (01 वरिष्ठ अनुवादक, 07 कनिष्ठ अनुवादक और 07 हिन्दी टाइपिस्ट) का सृजन कर मंत्रालय के अनुमोदन हेतु भेजा। तब से अनेक अनुस्मारक भेजे गए, किन्तु अभी तक उक्त पदों का सृजन लम्बित है और आंचलिक कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी की स्थिति यथावत है। सदस्य सचिव महोदय ने वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी, श्री जुगेश कुमार को कहा कि वे इस मामले पर यथाशीघ्र कार्रवाई करने के लिए पर्यावरण मंत्रालय के सलाहकार (सी.पी.) को पत्र लिखकर उनसे बैठक के लिए तिथि व समय देने का अनुरोध करें।

अंत में सभी सदस्यों को धन्यवाद देते हुए बैठक का समापन किया गया।

*****

अनुबंध

विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति, केन्द्रीय बोर्ड की 75वीं बैठक में सदस्यों की उपस्थिति

1.	डा. ए बी. अकोलकर	- अध्यक्ष
2.	श्री एस.एस. बाला	- सदस्य
3.	श्री सी.एस. शर्मा	- सदस्य
4.	श्री दीपांकर साहा	- सदस्य
5.	श्री बी.के. जखमोला	- सदस्य
6.	श्री गुरनाम सिंह	- सदस्य
7.	श्री जुगेश कुमार	- सदस्य
8.	श्री राम दत्त पान्डे	- सदस्य
9.	श्री एम. वर्गीस	- सदस्य
10.	श्री सेतुरामालिंगम	- सदस्य
11.	श्री पी.के. बेहेरा	- सदस्य
12.	श्री महेन्द्र बंसल	- सदस्य
13.	श्री ए.के. सिन्हा	- प्रतिनिधि सदस्य
14.	श्री ए.के. चौधरी	- प्रतिनिधि सदस्य
15.	श्री ओमदास	- हिन्दी अनुभाग
16.	श्रीमती चारू जयसवाल	- हिन्दी अनुभाग
17.	श्री परमानन्द शर्मा	- सदस्य संयोजक